



महाराव शेखाजी

क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःशाखी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर-302016 EPABX: 0141-2281812

Email: acri-jaipur@nic.in, acri.jaipur@gmail.com

वॉक-इन-इन्टरव्यू

संस्थान के अधीन चल रहे एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम, जिला-भीलवाडा के लिए निम्नलिखित पदों हेतु उनके सम्मुख दी गई दिनांक को अनुबन्ध आधार पर नियत पारिश्रमिक रु. 27,000/- प्रतिमाह पर अस्थाई नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

क्र.सं.	पद का नाम	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता एवं आयु	दिनांक	चयन आधार	लिखित परीक्षा का समय
1.	योगा अनुदेशक	02	आवश्यक: <ul style="list-style-type: none">मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योगा में पूर्णकालिक नियमित डिग्री/एम.ए. (योगा)/एम.एस.सी.(योगा) (अनुभव -शून्य)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्य संस्थान से कोई भी पूर्णकालिक नियमित डिग्री एवं एक वर्ष का योगा में (डिग्री पश्चात्) डिप्लोमा (एक वर्ष का व्यवसायिक अनुभव)आयु:- अधिकतम 35 वर्ष	03.10.2017	लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार	प्रातः 10:00 बजे

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रातः 09.00 बजे संस्थान में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए परिषद् वेबसाइट www.ccras.nic.in देखें।

(डॉ.कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी, (विज्ञानिक-4)

नियम एवं शर्तें:-

- उम्मीदवार की आयु सीमा दिनांक 01.01.2017 के अनुसार गणना की जायेगी। एससी/एसटी/ओबीसी/एक्स सर्विसमैन (भूतपूर्व सैनिक)/विकलांग इत्यादि उम्मीदवार को भारत सरकार के सेवा नियमों के अनुसार छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक अपने शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि एवं एक सेट छायाप्रति तथा हाल ही में खिचाई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आवें।
- यह नियुक्ति प्रारम्भ में छः माह के लिये है, जिसे नियोक्ता के विवेक एवं अभ्यर्थी की कार्य-परफोरमेंस के आधार पर इसे कम या बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी प्रकृति (Temporary Basis) का है एवं यह पूर्णतः संविदा तथा प्रोजेक्ट कार्य के साथ को-टर्मिनस है अर्थात् यह नियुक्ति परियोजना की समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- आपका संस्थान में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का कोई दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।

.....01.....

6. आपको किसी प्रकार का पेंशन उपदान एवं सामान्य भविष्य निधि आदि परिलाभ देय नहीं होंगे।
7. आप किसी भी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त) के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
8. आप परियोजना की अवधि में किसी भी प्रकार का अन्यत्र कार्यभार/दायित्व लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
9. आप केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के कर्मचारी के रूप में व्यवहरित (Treated) नहीं होंगे।
10. आवेदक को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा।
11. विज्ञापन में दिये गये पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
12. चयन समिति आवेदक का चयन करना एवं रिजेक्ट करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

25-9-17
(डॉ. कृष्ण कुमार सिंह)
प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी, (वैज्ञानिक-4)